.22 ... कोर्ट में आज वाद की ... के पेश
किया; रिपोर्ट ... की गई। ... वाद
दर्ज रजिस्टर किया जाकर, तामील ... मुंतजर
है दि. 14.5.22 को पेश हो।

.22 पत्रावली ... पेश हुई।
वादीगण ... प्रतिवादीगण ... है। प्रतिवादीगण
1 व 2 की ओर से ... ने वकालतनामा
पेश किया। वादीगण व प्रतिवादीगण ने राजीनामा
पेश किया। वादीगण की पहचान वकील वादी
व प्रतिवादीगण की पहचान वकील प्रतिवादी
द्वारा की गई।

पुनश्च: राजीनामा तस्दीक किया जाकर राजीनामे
के अनुसार वाद स्वीकार किया जाता है।
निर्णय बारे इजलास सुनाया गया। निर्णय पृथक
से लिखवाया जाकर आ. पा. किया जावे।
पत्रावली तकमीली न. से कम की जाकर
दाखिल दफ्तर हो।

हुक्म व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए

गोरधन

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 13:08:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 56 / 2022

तारीख दायरा 13.05.2022

उनवान

1. छगनलाल आत्मज कजोड़ीलाल जाति मीना निवासी बोरदा तहसील सांगोद।
2. देवीशंकर आत्मज कजोड़ीलाल जाति मीना निवासी बोरदा तहसील सांगोद।

– वादीगण

बनाम

1. गोरधन पुत्र कजोड़ीलाल जाति मीना निवासी बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. रामकल्याण आत्मज कजोड़ीलाल जाति मीना निवासी बोरदा तहसील सांगोद।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा ।

– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री सत्येन्द्र गुप्ता (वकील वादीगण) दिनांक :– 14.05.2022

श्री उद्धल सिंह मीणा (वकील प्रतिवादीगण)

–– निर्णय ––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण तथा द्वारकालाल के शामलाती खाते की निम्न लिखित आराजी ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में स्थित है –

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 13:08:37 IST
Reason: SelfAttested

विवरण आराजी

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा

खाता संख्या	क्रम संख्या	खसरा नं0	रकबा है.
25	1	203	0.14
	2	207	0.02
	3	208	0.03
	4	232	0.35
	5	241	0.06
	6	269	0.11
	7	307	0.94
	8	523	0.02
	9	86	3.15
		9 किता	4.82 हैक्टर

ग्राम दीगोद तहसील सांगोद

खाता संख्या	क्रम संख्या	खसरा नं0	रकबा है.
25	1	169	1.18
	2	172	0.04
	3	173	0.85
	4	174	0.15
	5	175	0.45
		5 किता	2.67 हैक्टर

वादी एवं प्रतिवादीगण के साथ दोनों के चाचा द्वारकालाल जी का भी खाते में नाम दर्ज है। द्वारकालाल जी बचपन से अन्धे थे [illegible] विवाह भी नहीं हुआ। द्वारकालाल जी एवं कजोडीलाल जी दोनों सगे भाई थे। द्वार[illegible] जी को हमेशा से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता ने जब तक [illegible]ाला तथा उनकी मृत्यु के बाद उनकी देखभाल में वादीगण एवं प्रतिवादीगण रहे, [illegible]होंने उनकी देखभाल की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 13:08:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

एवं सेवा सुश्रुषा की। द्वारकीलाल वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सगे चाचा थे जिनकी मृत्यु दिनांक 05.06.2021 को हो गई तथा उनकी पगडी आदि की रस्म भी वादी क्रम 1 ने ही की तथा समस्त क्रिया क्रम आदि भी वादीगण क्रम 1 ने ही किये थे। मृतक द्वारकालाल जी के वैध वारिस वादीगण एवं प्रतिवादीगण वक्त बराबर से है। मृतक द्वारकालाल जी का नाम खाते से खारिज कर उनके हिस्से की सम्पूर्ण आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के वक्त बराबर से दर्ज की जानी चाहिये थी। वादीगण ने तहसीलदार सांगोद को भी उक्त नाम खारिज कर उसके स्थान पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का नाम वक्त बराबर से दर्ज करने का निवेदन किया परन्तु तहसीलदार सांगोद ने द्वारकालाल जी का फौती इन्तकाल दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया जिससे वादीगण के लिये खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक होने से प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के हक में निम्न प्रकार डिक्री सादिर फरमायी जावे कि –

वाद पत्र की मद नं0 1 में दर्ज आराजी ग्राम बोरदा एवं दीगोद में मृतक द्वारकालाल का नाम खाते से हटाकर उसके स्थान पर वादीगण प्रतिवादी को बराबर से खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी की तलबी हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से वकील श्री उद्धल सिंह मीणा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। दिनांक 14.5.2022 को पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में रखी गई। पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत किया गया। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रतिवादी सं. 3 प्रकरण में फॉर्मल पक्षकार है।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। द्वारकालाल के मृत्यु प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि द्वारकालाल अविवाहित था। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, जमाबंदी, द्वारकालाल के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं राजीनामे इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

माल ग्राम बोरदा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 25 के खसरा नं0 203 की 0.14 है0, खसरा नं0 207 की 0.02 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 13:08:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नं0 208 की 0.03 है0, खसरा नं0 232 की 0.35 है0, खसरा नं0 241 की 0.06 है0, खसरा नं0 269 की 0.11 है0, खसरा नं0 307 की 0.94 है0, खसरा नं0 523 की 0.02 है0, खसरा नं0 86 की 3.15 है0, कुल 9 किता की कुल 4.82 हैक्टर आराजीयात एवं माल ग्राम दीगोद पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 74 के खसरा नं0 169 की 1.18 है0, खसरा नं0 172 की 0.04 है0, खसरा नं0 173 की 0.85 है0, खसरा नं0 174 की 0.15 है0, खसरा नं0 175 की 0.45 है0, कुल 5 किता की कुल 2.67 हैक्टर आराजीयात में मृतक द्वारकालाल का नाम डिलीट किया जाकर विवादित आराजी में द्वारकालाल के 1/2 हिस्से आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 13:08:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner